कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद चन्दौली

प्रेस नोट दिनांक– 03.08.2026

🔶 स्वाट/सर्विलांस व थाना चकिया पुलिस टीम की संयुक्त कार्यवाही में इलिया थाने का वांछित 25 हजार का इनामी मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार, अभियुक्त का दूसरा साथी भी दबोचा गया.

चन्दौली। - उच्चाधिकारीगण के निर्देशन में जनपद में वांछित एवं शातिर अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत थाना चकिया पुलिस और SOG की संयुक्त टीम को बड़ी सफलता हासिल हुई है। आज दिनांक 03.08.2026 को थाना चकिया अंतर्गत गांधी नगर पुलिया पर थानाध्यक्ष चकिया अर्जुन सिंह व एसओजी प्रभारी राम जन्म यादव अपने हमराहियों के साथ चेकिंग कर रहे थे। और इसी दौरान सामने से एक मोटरसाइकिल पर दो लड़के आते हुए नजर आए, जिनको इनके द्वारा रोका-टोका गया, परंतु वे लोग बहुत तेज रफ्तार से लतीफशाह की ओर बढ़े।

पुलिस टीम के द्वारा इन्हें ओवरटेक कर गांधीनगर लफीतशाह रोड पर रोकने का प्रयास किया गया। इस दौरान ये बदमाश अपनी बुलेट मोटरसाइकिल को जंगल की ओर मोड़कर तेजी से भागने का प्रयास किए, कि इनकी मोटरसाइकिल गिर गई। और मोटरसाइकिल सवार युवक द्वारा पुलिस टीम पर फायर किया गया। आत्मरक्षार्थ पुलिस सिखलाई के अनुसार देखते हुए एसओ चकिया के द्वारा फायर किया गया, जिससे कि वो फायरिंग कर रहा युवक घायल हो गया और वो वहीं मौके पर गिर गया। जिससे नाम-पता पूछा गया, तो उसके द्वारा अपना नाम शेरू अंसारी निवासी चांद, बिहार बताया गया। उपरोक्त अभियुक्त पूर्व से इलिया थाने से ₹25,000 का इनामिया था, जो कि 2025 से ही वांटेड चल रहा था। और जो दूसरा जो एक बदमाश था, जो कि मोटरसाइकिल पर था, वो जंगल में भागा। जिसे कॉम्बिंग कर पुलिस पार्टी के द्वारा उसे भी पकड़ लिया गया, जो कि अपना नाम-पता सोनू अंसारी बताया, जो कि मिर्जापुर का रहने वाला है।

और इस संदर्भ में विधिक कार्रवाई चकिया थाने के द्वारा की जा रही है। घायल बदमाश को इलाज हेतु सीएचसी रवाना किया गया है। और जो घटनास्थल है, इसको सुरक्षित कर आवश्यक कार्रवाई की जा रही है।

घायल अभियुक्तों का विवरण-

1. घायल अली हसन उर्फ़ शेरू अंसारी पुत्र फ़ैजुल्हसन निवासी शिवरामपुर थाना चांद जिला कैमूर भभुआ बिहार थाना इलिया

2. दूसरा साथी सोनू अंसारी पुत्र तस्लीम अंसारी निवासी बुढ़वाई थाना अहरौरा जिला मिर्जापुर

गिरफ्तार अभियुक्तों का आपराधिक इतिहास-

मु0अ0सं0-83/2025 धारा 3/5ए/5बी/गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रूरता नि0 अधि0 थाना इलिया जनपद चन्दौली।

मु0अ0सं0- 75/2025 धारा-3/5ए/5बी/गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रूरता नि0 अधि0 व 3/25(1-B)(A)/35 आर्म्स एक्ट व 109(1)/352/325 Bns थाना इलिया जनपद चन्दौली।

घटनास्थल-

गांधीनगर लफीतशाह रोड थाना चकिया

बरामदगी विवरण-

अभियुक्त के पास से एक तमंचा 02 कारतूस बरामद

01 मोटर साइकिल

गिरफ्तारी व मुठभेड़ करने वाली पुलिस टीम-

थाना चकिया पुलिस:

थानाध्यक्ष अर्जुन सिंह, थानाध्यक्ष चकिया जनपद चन्दौली।

उ0नि0 मुन्ना सिंह (चौकी प्रभारी रामपुर भभौरा),

उ0नि0 प्रेमचन्द यादव,

हे0का0 सूरज सरोज,

हे0का0 नरसिंह बहादुर,

हे0का0 राजेन्द्र प्रसाद,

का0 राकेश यादव,

रि0का0 अरूण अवस्थी,

चालक हे0का0 फिरोज अहमद।

SOG / स्वाट टीम:

1.नि- रामजनम यादव (प्रभारी स्वाट / sog)

2.मु आ - अरविंद भारद्वाज

3.मु आ -राणा प्रताप सिंह

4.मु आ - आनंद सिंह

5.मु आ- रामानंद यादव

6.मु आ -आशुतोष सिंह

7.आ - अमित सिंह

8.आ - महेश यादव

कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद चन्दौली

प्रेस नोट दिनांक– 03.08.2026

मुगलसराय पुलिस टीम द्वारा सरकारी कार्य में बाधा डालने, पुलिस कर्मियों पर जानलेवा हमला करने एवं मारपीट करने के अभियोग में 02 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार।

उच्चाधिकारीगण के निर्देशन में थाना मुगलसराय पुलिस टीम द्वारा अपराध व अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना मुगलसराय पर दिनांक 01.08.2026 को चौकी प्रभारी दुलहीपुर उ0नि0 संजय कुमार सिंह द्वारा लिखित तहरीर दी गई कि सावन माह के दृष्टिगत मीट एवं मुर्गा आदि की दुकानों पर नोटिस तामील कराने हेतु चौकी दुलहीपुर पर नियुक्त का0 बालकृष्ण यादव एवं रि0का0 मोहित यादव क्षेत्र में गए थे। इसी दौरान दुलहीपुर क्षेत्र में प्रिंस सोनकर पुत्र रमेश सोनकर निवासी दुलहीपुर द्वारा सरकारी कार्य में बाधा उत्पन्न करते हुए पुलिस कर्मियों के साथ अभद्रता एवं हाथापाई की गई। सूचना पर चौकी प्रभारी उ0नि0 संजय कुमार सिंह तत्काल मौके पर पहुंचे तो अभियुक्त प्रिंस सोनकर द्वारा उनके साथ भी गाली-गलौज एवं हाथापाई की गई। पुलिस द्वारा अभियुक्त को पकड़कर चौकी लाने का प्रयास किया जा रहा था कि तभी उसके परिवार के सदस्य एवं अन्य लोग मौके पर आ गए और सभी ने मिलकर पुलिस टीम पर हमला कर दिया। घटना के दौरान चौकी प्रभारी के साथ मारपीट की गई, जिससे उन्हें बायीं आंख के पास चोट आई। का0 बालकृष्ण यादव का गला दबाकर जान से मारने का प्रयास किया गया, उनकी वर्दी फाड़ दी गई तथा नेम प्लेट भी तोड़ दी गई। रि0का0 मोहित यादव को भी चोटें आई। जाते समय अभियुक्तों द्वारा पुलिस कर्मियों को जान से मारने की धमकी भी दी गई। उक्त तहरीर के आधार पर थाना मुगलसराय पर मु0अ0सं0-386/2026, धारा 121/132/191(2)/109(1)/115(2)/352/351(3) बीएनएस एवं 07 सीएलए एक्ट के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया तथा अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम गठित की गई। दिनांक 02.08.2026 को थाना मुगलसराय पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर अलीनगर रोड स्थित गंजी प्रसाद तिराहे के पास दबिश देकर अभियोग से संबंधित दो वांछित अभियुक्तों को दिनांक 04.08.26 को समय 07.20 बजे गिरफ्तार कर विधिक कार्यवाही किया जा रहा है ।

नाम पता अभियुक्त-

1.अमरजीत सोनकर उर्फ छोटू पुत्र रमेश सोनकर निवासी दुलहीपुर थाना मुगलसराय जनपद चन्दौली, उम्र लगभग 24 वर्ष।

2.प्रिंस सोनकर उर्फ विराट सोनकर पुत्र रमेश सोनकर निवासी दुलहीपुर थाना मुगलसराय जनपद चन्दौली, उम्र लगभग 26 वर्ष।

<u>आपराधिक इतिहास –</u>

1.मु0अ0सं0-386/2026, धारा 121/132/191(2)/109(1)/115(2)/352/351(3) बीएनएस एवं 07 सीएलए एक्ट थाना मुगलसराय जनपद चन्दौली

<u>गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-</u>

1.थानाध्यक्ष विजय प्रताप सिंह थाना मुगलसराय जनपद चन्दौली।

2.उ0नि0 सतीश प्रकाश चौकी प्रभारी शिवाला थाना मुगलसराय जनपद चन्दौली।

3.उ0नि0 त्रिवेणी प्रसाद तिवारी थाना मुगलसराय जनपद चन्दौली।

4.का0 श्याम प्रकाश यादव थाना मुगलसराय जनपद चन्दौली।

5.का0 संजय कुमार थाना मुगलसराय जनपद चन्दौली।